

## तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम सं.4)

तम्बाकू उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने के वास्ते उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसवीं वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

### अध्याय-।

#### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।	1	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 है।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
		(3)	यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें:
		*	परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए और विभिन्न राज्यों या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेगी।

- 
- अध्याय -।।। को छोड़कर अधिनियम के प्रावधान दि. 01/01/1976 से लागू हुए देखें भारत के राजपत्र भाग-।। धारा 3(ii) में अधिनियम दि.27/12/1975.
  - आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में धाराएँ 10, 11 और भारत भर में धाराएँ 12, 14 व 15 दि. 28/08/1976 से लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के भाग -।। धारा 3(ii) में अधिसूचना दि.28/08/1976.
  - महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश राज्यों में दि.31/05/1980 से धाराएँ 10 व 11 लागू हुई देखें भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।। धारा 3(ii) दि. 31/05/1980.

संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा	2		इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि तम्बाकू उद्योग को संघ अपने नियंत्रण के अधीन लेना चाहिए ।
परिभाषाएँ	3		इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
		(क)	“बोर्ड “ से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;
		(ख)	“ अध्यक्ष “ से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
1944 के 1		(ग)	“ संसाधन “ का वह, अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 में है तथा उसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा;
		(घ)	“ व्यौहारी “ से तम्बाकू का व्यौहारी अभिप्रेत है;
		(ड.)	“ कार्यपालक निदेशक “ से धारा 6 के अधीन नियुक्त कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है;
		(च)	“ निर्यात “ और “आयात “ से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा क्रमशः भारत से ले जाना या भारत में लाना अभिप्रेत है;
		(छ)	“ सदस्य “ से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;
		(ज)	“विहित “ से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(झ)	“रजिस्ट्रीकृत “ से “रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला“ अभिव्यक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अध्याय-III तथा उसके अधीन बताए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
		(ञ)	“रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला“ से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने वर्जिनिया तम्बाकू उगाने के लिए धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है।

**अध्याय -II**  
**तम्बाकू बोर्ड**

बोर्ड की स्थापना और उसका गठन	4	(1)	उस तारीख से जिसे, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जो तम्बाकू बोर्ड कहलाएगा।
		(2)	यह बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।
		(3)	बोर्ड का मुख्य कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टूर में होगा और बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्दर या बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।
		(4)	बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
		(क)	एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
		(ख)	संसद के तीन सदस्य, जिसमें से दो लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;
		(ग)	* केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आठ सदस्य, जो क्रमशः निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करेंगे:-

- 
- सात शब्द आठ के रूप में संशोधित किया गया और उप धारा (द्वारा) लगायी गयी देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि. 30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

		(i)	कृषि से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
		(ii)	वाणिज्य से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
		(iii)	वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
		(iv)	औद्योगिक विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय;
		(v)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
		(vi)	आन्ध्र प्रदेश सरकार;
		(vii)	कर्नाटका सरकार;
		(viii)	गुजरात सरकार;
		(घ)	आन्ध्र प्रदेश *गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगाने वाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य;
		(ङ.)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले *दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

- 
- शब्द दस, आठ शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

			+	“ परन्तु प्रस्तुत खण्ड के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी। “
			+(च)	भारत सरकार के कृषिविपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;
			+(छ.)	कार्यपालक निदेशक, पदेन;
		(4-क)		यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य का कार्यालय अपने पदधारी के रूप में चुने जाने हेतु, अथवा संसद की किसी भी सभा के सदस्य होने के कारण अयोग्य नहीं बताएगा।
		(5)		बोर्ड अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा, जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।
		(6)		सदस्यों की पदावधि और सदस्यों के स्थानों में रिक्तियों को भरने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।
		(7)		कार्यपालक निदेशक और केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसी अधिकारी को (जो बोर्ड का सदस्य न हो) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाता है, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हो, तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकारी होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

खण्ड (ड.) व खण्ड (च), (छ) और उपधारा (4-क) भी जोड़ी गयीं। शब्द “ कार्यकारी निदेशक और कोई ऐसा अधिकारी “ उप-धारा (7) में “ कोई अधिकारी “ द्वारा प्रतिस्थापित किये गये देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

		(8)	बोर्ड ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने साथ किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जिनकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने में लेना चाहे तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को उन प्रयोजनों से सुसंगत बोर्ड की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा जिनके लिए वह सहयोजित किया गया है किन्तु उसे मत देने का अधिकारी नहीं होगा।
		(9)	बोर्ड या उसके द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि-
		(क)	बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
		(ख)	बोर्ड के या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने में कोई त्रुटि हुई है; या
		(ग)	बोर्ड या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता हुई है जिसका, मामले के गुणागुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अध्यक्ष का वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्तें	5		अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा, जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएं।
बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारिवृन्द।	6	(1)	केन्द्रीय सरकार एक कार्यपालक निदेशक नियुक्त करेगी जो अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें विहित किया जाए या जिन्हें अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रत्यायोजित किया जाए।
		(2)	केन्द्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी जो अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें विहित किया जाए अथवा जिन्हें अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रत्यायोजित किया जाए।

		(3)	कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।
		(4)	ऐसे नियन्त्रण, निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।
		(5)	अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, सचिव और बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से सम्बन्ध न रखने वाले किसी काम का जिम्मा केन्द्रीय सरकार की इजाजत के बिना नहीं लेंगे।
बोर्ड की समितियाँ	7	(1)	बोर्ड ऐसी समितियाँ, नियुक्त कर सकेगा, जैसी इस अधिनियम के अधीन दक्षतापूर्वक उसके कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों।
		(2)	बोर्ड को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में इतने व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं, सहयुक्त करने की शक्ति होगी जितने वह ठीक समझे तथा इस प्रकार सहयुक्त व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।
बोर्ड के कृत्य	8	(1)	बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन तम्बाकू उद्योग के विकास का संवर्धन ऐसे उपायों से करें जिन्हें वह ठीक समझे।

		(2)	उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट उपाय निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे-
		*(क)	संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू के लिए भारत में और विदेशों में मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसे तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन की विनियमित करना;
		(i)	भारत और विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की माँग;
		(ii)	वर्जीनिया तम्बाकू को पैदा करने के लिए भूमि की अनुकूलता;
		(iii)	देश के विभिन्न क्षेत्रों, जहाँ वर्जीनिया तम्बाकू का उगाया जाता है, में भू विशिष्टताएँ एवं आगो-शीतोष्ण तत्वों में भेद तथा उन क्षेत्रों में उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की गुणवत्ता एवं मात्रा का प्रभाव;
		(iv)	वर्जीनिया तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों की विपणनीयता;
		(v)	फसलों के रोटेशन की आवश्यकता, तथा
		(vi)	वर्जीनिया तम्बाकू के धारकों एवं उत्पादकों का स्वभाव चाहे स्वामित्व हो या अथवा पट्टे पर किया हो।
		(ख)	भारत और विदेशों, दोनों स्थानों में, वर्जीनिया तम्बाकू की मण्डी पर लगातार नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि उगाने वालों को उसके लिए उचित और लाभकारी कीमती मिलती है और इस वस्तु की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव नहीं होता;

---

धारा (क) प्रतिस्थापित किया गया देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि. 06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.



	(ग)	भारतीय वर्जीनिया तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के लिए भारत के बाहर विद्यमान मण्डियों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना तथा नई मण्डियों का विकास करना, और भारत के बाहर इस वस्तु की मांग के अनुरूप विपणन युक्ति का विकास करना, जिसमें सीमित ब्रांड नामों के अधीन सामूहिक विपणन भी है;
	*(गग)	पंजीकृत उत्पादकों या संसाधनकर्ताओं द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित नीलाम मंच को बोर्ड द्वारा स्थापना और संस्थापित अथवा के साथ पंजीकृत नीलाम मंचों पर बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर नीलामकार के रूप में बोर्ड का कार्य होगा।
	** (घ)	निकाल दिया गया ।
	(ड.)	उगाने वालों, विनिर्माताओं और व्यौहारियों तथा राष्ट्र के हितों का सम्यक ध्यान रखते हुए वर्जीनिया तम्बाकू के भारत में विपणन के संबंध में तथा वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात की अन्य बातों के बारे में विनियमन करना;
	(च)	वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों, व्यौहारियों तथा निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं।) तथा वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं और वर्जीनिया तम्बाकू तथा उसके उत्पादों से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना;
	(छ)	उगाने वालों से उस देश में वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना, जिसमें ऐसा करना उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या समीचीन समझा जाता है और जैसे तथा जब ठीक समझा जाए उसका भारत में या भारत के बाहर व्ययन करना;

- रख दिया गया देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

\*\*. निकाल दिया गया देखें भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

		(ज)		उगाने वालों के स्तर पर तम्बाकू के श्रेणीकरण, को सम्प्रवर्तित करना;
		(झ)		तम्बाकू उद्योग की उन्नति के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान का कार्य प्रायोजित करना, उसमें सहायता करना, उसे समन्वित करना या उसे प्रोत्साहित करना;
		(ञ)		ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।
		(3)		उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों को प्राथमिकता देने की शर्त के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपाय, वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न तम्बाकू के लिए भी, उपधारा (2) के खण्ड (ग) से लेकर (छ) तक में विनिर्दिष्ट सभी या किसी बात के बारे में भी उपबन्ध कर सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए उन खण्डों में वर्जीनिया तम्बाकू के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ किया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न तम्बाकू के प्रति भी निर्देश हैं।
		(4)		इस धारा के अधीन बोर्ड अपने कृत्यों का पालन ऐसे नियमों के अनुसार और अधीन रहते हुए करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं और ऐसे नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे कि बोर्ड, संघ के अभिकरणों, संस्थाओं और प्राधिकरणों से, जो तम्बाकू उद्योग से सम्बन्धित हों (जिसके अन्तर्गत तम्बाकू का उगाना भी है), गहरा सम्पर्क रखते हुए कार्य करता है और एक ही काम को दुबारा करने से बनाता है।
बोर्ड का विघटन	9	(1)		केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से निदेश दें सकेगी कि बोर्ड उस तारीख से और उतनी अवधि के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित किया जाएगा:

			परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित विघटन के खिलाफ अभ्यावेदन करने के लिए बोर्ड को उचित अवसर प्रदान करेगी और यदि बोर्ड द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है, तो उस पर विचार करेगी।
		(2)	जब बोर्ड उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन विघटित कर दिया जाता है तब:-
		(क)	सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई हैं, विघटन की तारीख से ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;
		(ख)	विघटन की अवधि के दौरान बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे या जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करें;
		(ग)	बोर्ड में निहित सब निधियां और अन्य सम्पत्ति विघटन की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी; और
		(घ)	विघटन की अवधि के समापन होते ही, बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा।

## अध्याय -III

### वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और व्ययन का विनियमन

वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण	10	(1)	कोई भी व्यक्ति वर्जीनिया तम्बाकू को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन और अनुसार ही उगाएगा, अन्यथा नहीं।
		(2)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने या इन्कार करने में बोर्ड भारत और विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू के लिए मांग, और जिस भूमि के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है, उसकी उपयुक्तता और ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा जो वर्जीनिया तम्बाकू उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए।
		(3)	इस धारा के अनुसरण में दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उतनी अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा जितनी विहित की जाए।
		(4)	ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ (उस भूमि के, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है, 0.4 हैक्टेयर के लिए एक रूप से अनधिक) उतनी फीस होगी जितनी विहित की जाए।
वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू बीजों के ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन	*10-क	(1)	कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड से नर्सरी ग्राहकों के रूप में उसके द्वारा पंजीकरण लिये जाने तक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू बीजों को पैदा नहीं करेगा।
			<b>व्याख्या:-</b> संदेहों के समाधान के लिए, यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि प्रस्तुत उप-धारा का कुछ भी अपने ही स्वयं उपयोग के लिए किसी भी वर्जीनिया तम्बाकू बीजों के एक पंजीकृत उत्पादक द्वारा उगाने में लागू नहीं होंगे।
		(2)	कोई भी पंजीकृत नर्सरी उत्पादक एक पंजीकृत उत्पादक को छोड़कर और किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्जीनिया तम्बाकू बीजों को न तो बेचेगा और न बेचने देगा।

- लगाये देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधकों का रजिस्ट्रीकरण	11			रजिस्ट्रीकृत संसाधक से भिन्न कोई भी व्यक्ति तब तक वर्जीनिया तम्बाकू का संसाधन नहीं करेगा या संसाधन का जिम्मा नहीं लेगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड में संसाधक के रूप में अपने को रजिस्टर नहीं करा लेता है।
वर्जीनिया तम्बाकू के प्रोसेसरों तथा निर्माणकर्ताओं आदि.,का रजिस्ट्रीकरण	*11-क			कोई भी व्यक्ति, अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप बोर्ड के सथ ऐसी प्रोसेसर या निर्माणकर्ता के रूप में अपने को पंजीकृत न कर लेने तक वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेस न करेगा अथवा उससे उत्पादों का निर्माण न करेगा।
	*11-ख			कोई भी व्यक्ति -
			(i)	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू संबंधी वर्गीकरण का कार्य नहीं लेगा; या
			(ii)	इस अधिनियम के अधीन बनायी नियमावली के अनुरूप बोर्ड से एक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेने तक एक बखार का निर्माण तथा प्रचलालन को नहीं लेगा ।
				व्याख्या : प्रस्तुत धारा के प्रयोजनों के लिए :-
			(iii)	“ बखार “ से तम्बाकू के पत्तों की फलू क्यूरिंग के लिए प्रयुक्त फलू पाईपों, फर्नेस व टैयरों के होते हुए जिकशीटों टैयरोंके साथ रहीं एक भवन या स्ट्रक्चर से अभिप्रेत है;
			(iv)	“ वर्गीकरण कार्य “ से पौधों की स्थिति, परिपक्वता, रंग, धड और कमियों के आधार पर निर्दिष्ट श्रेणियों के भीतर तथा यथा निर्धारित ऐसे विनिर्दिष्टों के अनुरूप तम्बाकू के पत्तों को अलग करने से अभिप्रेत है;

- 
- लगाये देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-I, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1985.

निर्माणकर्ताओं, पैकरों, नीलाकर्ताओं और व्योहारियों का रजिस्ट्रीकरण	12			कोई भी व्यक्ति तब तक तम्बाकू या किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा या तम्बाकू के पैकर, नीलामकर्ता या व्योहारी के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने आपको बोर्ड में रजिस्टर नहीं करा लेता ।
वर्जीनिया तम्बाकू का रजिस्ट्रीकृत नीलामी मंचों पर विक्रय किया जाना।	+13			कोई भी रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला या संसाधक वर्जीनिया तम्बाकू को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत नीलामी मंच पर ही विक्रय करेगा या कराएगा, न कि अन्यत्र। #(अथवा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित)
नीलाम मंचों आदि., में खरीदने के लिए पंजीकृत डीलरों तथा निर्यातकों का कर्तव्य	*13-क			कोई भी पंजीकृत डीलर अथवा पंजीकृत निर्यातक को कहीं भी वर्जीनिया तम्बाकू को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा -
			(क)	इस अधिनियम के अधीन बनाये नियमावली के अनुरूप बोर्ड के साथ पंजीकृत नीलामी मंच अथवा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित; अथवा

#जोडा देखे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-I, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1978.

+दि. 01 सितम्बर, 1984 से कर्नाटक राज्य में अधिनियम की धारा 13 लागू हुई देखें भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3 (ii) दि. 31/08/1984 में अधिसूचना ।

दि. 05/02/1985 से आंध्र प्रदेश राज्य में अधिनियम की धारा 13 लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3 (ii) दि. 12/02/1985 में अधिसूचना ।

- धारा 13-क लगाया गया भारत के राजपत्र के भाग-II, धारा-I दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

			(ख)	किसी दूसरे पंजीकृत डीलर या पंजीकृत उत्पादक या क्यूरर:
				बशर्ते कि किसी राज्य के संबंध में जिसमें धारा 13 के प्रावधान लागू नहीं हैं, धारा (क) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें लागू नहीं होगी।
अनुचित व्यवहारों से दूर रहने नीलामी मंचों से दूर स्थानों पर वर्जीनिया तम्बाकू के क्रेताओं के कर्तव्य	*13-ख			प्रत्येक डीलर, जिन्होंने किसी भी राज्य में, जहाँ पर धारा 13 के प्रावधान लागू नहीं हैं, में वर्जीनिया तम्बाकू को खरीदता है, को:-
			(क)	तम्बाकू को जिस मूल्य पर वह खरीदने के लिए सहमत हुआ वर्जीनिया तम्बाकू की सम्पूर्ण मात्रा के लिए पूरी कीमत वह देगा और ऐसे मूल्य के अनुरूप यथा परिकलित कीमत से वजन में किसी छूट के लिए दावा करने से वह दूर रहेगा;
			(ख)	धारा (क) के प्रावधानों के अनुसार यथा परिकलित उसके द्वारा वैसे ही खरीद किये वर्जीनिया तम्बाकू के लिए पूरी कीमत का भुगतान वह, बोर्ड द्वारा इसके लिए यथा विनिर्दिष्ट ऐसे न्यायोचित समय के अंदर किसी भी हालत में यथाशीघ्र करेगा; तथा
			(ग)	ऐसे राज्य में और सारे संगत विचारों, विशेषकर अनुचित व्यवहारों से वर्जीनिया तम्बाकू को बेचनेवाले व्यक्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में, जो बोर्ड गलत समझे, ऐसे व्यवहारों से वह दूर रहेगा।

- 
- धारा 13-ख लगाया गया देखें भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-I, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.
-

रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध आवेदन, रद्दकरण, फीस और अन्य मामले	14			<p>धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, *(धारा 10-क के प्रयोजनों के लिए नर्सरी उत्पादकों के पंजीकरण के लिए) धारा 11 के प्रयोजनों के लिए संसाधकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 11-क के प्रयोजनों के लिए प्रोसेसर और निर्माताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए, धारा 11-ख के अधीन उन्नत श्रेणीकरण कर्ता के लिए या बखार निर्माण तथा प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, धारा 12 के प्रयोजनों के लिए तम्बाकू के निर्यातकर्ताओं, पैकरो या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए नीलामी मंचों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और व समय जिसके अन्दर और वह रीति जिसमें ऐसे आवेदन किए जाएंगे, ऐसे आवेदनों पर संदेय फीस, उनमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने और रद्द करने में या नीलामी मंचों का रजिस्ट्रीकरण करने में या, यथास्थिति, *(वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधकों, प्रोसेसरों, निर्यातकर्ताओं, पैकरो या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण में, अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त और प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकृत उगाने वालों तथा तम्बाकू के रजिस्ट्रीकृत संसाधकों, निर्यातकर्ताओं, पैकरो या नीलामकर्ताओं या व्यौहारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियाँ तथा बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर ऐसे होंगे जिसमें विहित किया जाएगा जो भी उचित हो, धारा-11-ख के तहत लाईसेंस को प्रदान करने में, वर्जीनिया तम्बाकू या उसके उत्पादों के निर्माताओं, पैकरो या नीलामकर्ताओं, प्रक्रियाकर्ताओं, नर्सरी उत्पादकों एवं संसाधकों के रूप में पंजीकरण और यथाविनिर्धारित बोर्ड के पास पंजियाँ रखी जाएगी।)</p>
---	----	--	--	--

- भारत के राजपत्र के भाग-11, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.



शुल्क लगाने की शक्ति	*14-क	(1)	इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्धारित;
		(2)	उप-धाराओं के अधीन लगाये शुल्क का बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।
निरीक्षण की शक्ति	15		बोर्ड अपने सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों, में से किसी को धारा 14 में निर्दिष्ट किसी आवेदन में या किसी विवरणी में उल्लिखित किन्हीं विशिष्टियों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए किसी भूमि या परिसर का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

#### अध्याय- IV वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार।	16		केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।
आय कर से छूट	*16क		आय, लाभ या प्राप्तियों पर कर से संबंधित आय कर अधिनियम, 1961 या अस्थायी रूप से लागू अन्य कोई कानून में किसी बात को हेते हुए, बोर्ड को-
		(क)	आय कर या अन्य कोई कर की देयता से उत्तरदायी नहीं होना,
		(ख)	कर देयता के लिए उत्तरदायी कभी नहीं समझा जाना,
			उस तारीख, जो धारा-4 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में, उक्त बोर्ड का गठन किया गया, से आगे बोर्ड द्वारा व्यापन्न कोई आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में।
तम्बाकू निधि का गठन	17	(1)	तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित, की जाएगी और उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी:-

- बोर्ड द्वारा संग्रहणीय सेवा प्रभार तम्बाकू के मूल्य का 2% देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3(ii), दि.22/08/1984 में प्रकाशित अधिसूचना।
- \* आयकर भुगतान से तम्बाकू बोर्ड या अन्य गठित प्राधिकरण को आयकर से छूट देने के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, अध्याय- VI की धारा-2 के क्र.सं.8 में 1988 का बिल सं.161 द्वारा 1975 की अधिनियम-4 में प्रकाशित नया धारा 16-क को जोड़ दिया गया।

		(क)	इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
		(ख)	इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
		(ग)	कोई अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
		(घ)	धारा 8 में निर्दिष्ट उपयों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।
		(2)	निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:-
		(क)	धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
		(ख)	बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
		(ग)	बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
		(घ)	किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।
बोर्ड की उधार लेने की शक्तियाँ ।	18		ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड की इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तम्बाकू निधि की अथवा किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति होगी।
	*18-क		केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित ऐसी शर्तों की शर्त पर, जहाँ बोर्ड ऐसी राय रखे कि कोई देय राशि या नुकसान, चाहे पैसे हो या संपत्ति, बोर्ड द्वारा व्यय किया अवापसीय हो, तो केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन सहित, कथित राशि या नुकसान को अंतिम रूप से बिलकुल बोर्ड मंजूर कर सकता है।
			बशर्ते कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, जहाँ, किसी व्यक्तिगत मामले में ऐसी अवसूलनीय राशि या नुकसान ज्यादा न हो और कुल में किसी वर्ष में यथानिर्धारित ऐसी राशियाँ ।

- 
- धारा 18-क लगाया देखें भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

लेखा और लेखा परीक्षा	+19	(1)	बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।
		(2)	बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।
		(3)	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
		(4)	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी।

---

+ प्रतिस्थापित देखें तम्बाकू बोर्ड (संसोधन) अधिनियम, 1985.

**अध्याय- V**  
**केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण**

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के आयात और निर्यात को प्रतिषिद्ध या नियंत्रित करने की शक्ति ।	20	(1)	केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के या तो साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों में आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने, निबन्धित करने या अन्यथा नियंत्रित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी।
1962 का 52		(2)	उस सब तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों को, जिनको उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश लागू होता है, ऐसा माल समझा जाएगा जिसका आयात या निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है और उस अधिनियम के सब उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे।
1962 का 52		(3)	यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे किसी अधिहरण या शास्ति पर, जिसका कि वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू किए गए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन भागी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, अन्यथा दोनों से, दण्डनीय होगा।
वर्जीनिया तम्बाकू के क्रय को प्राधिकृत करने केन्द्र सरकार की शक्ति	*20-क		धारा 8 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के प्रावधानों की परिवाद के बगैर और प्रस्तुत अधिनियम के किसी दूसरे प्रावधान में शामिल किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा शीघ्र, है, तो वही लिखित आदेश द्वारा अथवा आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी स्थितियों शर्तों एवं सीमाओं की शर्त पर, उत्पादकों से वर्जीनिया तम्बाकू को खरीदने और भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचने के लिए किसी व्यक्ति को अथवा दूसरी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकता है।

- लगाया गया देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश ।	21			बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए दिए जाएं।
विवरणियाँ और रिपोर्टें	22	(1)		बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय और ऐसे प्ररूप और रीति में जिन्हें विहित किया जाए या जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करें, तम्बाकू उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम के बारे में ऐसी विवरणियाँ और विवरण तथा ऐसी विशिष्टियाँ देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उपेक्षा करें।
		(2)		उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख से पूर्व जिन्हें विहित किया जाए, एक रिपोर्ट देगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सही तथा पूरा वृत्तान्त होगा।
		(3)		उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

## अध्याय- VI

### प्रकीर्ण

शास्तियां	23			जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या इस प्रकार की विवरणी देगा जिसमें कोई ऐसी विशिष्टि है जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
-----------	----	--	--	--

बोर्ड की किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के पालन में बाधित करने के लिए और बहियों और अभिलेखों को पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां ।	24		जो कोई व्यक्ति :-
		(क)	बोर्ड के किसी सदस्य को या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
		(ख)	किसी लेखा बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण में है या जो उसकी अभिरक्षा में हैं, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसी बही या अभिलेखों को पेश करने के लिए अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसको अवधि छह मास तक की हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
अन्य शास्तियां ।	25		जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के ऐसे उपबन्धों का *(या विनियमों), जो उनसे भिन्न हों जिनके उल्लंघन के लिए धारा 20 या धारा 23 या धारा 24 में दण्ड का उपबन्ध किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि *(दो साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से), और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे उल्लंघन जारी रहता है, पचास रूपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

- 
- प्रतिस्थापित देखें भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.
-

कम्पनियों द्वारा अपराध ।	26	(1)	यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे; परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।
		(2)	उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि यह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाता उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा। <i>व्याख्या :-</i> इस धारा के प्रयोजनों के लिए -
		(क)	“कम्पनी “ से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा
		(ख)	फर्म के संबंध में “निदेशक “ से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।
न्यायालय की अधिकारिता ।	27		महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगी।
केन्द्रीय सरकारी की पूर्व अनुमति	28		इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।	29			इस अधिनियम या तदधीन अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के अथवा बोर्ड के या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के अथवा बोर्ड या ऐसी समिति के किसी सदस्य के अथवा केन्द्रीय सरकार के या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के अथवा बोर्ड के किसी अभिकर्ता या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।
अधिनियम के प्रवर्तन का निलम्बन ।	30	(1)		यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों में से कुछ का अधिरोपित किया जाना समाप्त कर दिया जाए या यदि वह ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट विस्तार तक, ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी के प्रवर्तन को, निलम्बित कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी।
		(2)		जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रवर्तन उपधारा (1) के अधीन निलम्बन या शिथिल कर दिया गया है वहां ऐसे निलम्बन या शिथिल किए जाने को इस अधिनियम के प्रवृत्त रहने के दौरान किसी भी समय केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हटा सकेगी।
		(3)		इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी की जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से अधिसूचना के पूर्व प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



अन्य विधियों के लागू किए जाने के वर्जित न होना।	31			इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।
केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति	32	(1)		केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
		(2)		विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
			(क)	बोर्ड के उपाध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य;
			(ख)	सदस्यों की पदावधि, और सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों में रिक्तियों को भरने की रीति और उनके कृत्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
			(ग)	कार्यपालक निदेशक और सचिव द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य;
			(घ)	ये परिस्थितियां जिनमें और यह अधिकारी जिसके द्वारा कोई सदस्य हटाया जा सकेगा;
			(ङ.)	प्रत्येक वर्ष बोर्ड की न्यूनतम बैठकें करना;
			(च)	कामकाज के संचालन के लिए बोर्ड की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और सदस्यों की संख्या जिससे बैठक में गणपूर्ति होगी;

		(छ)	बोर्ड द्वारा किए गए कामकाज के अभिलेखों का बोर्ड द्वारा रखा जाना और उसकी प्रतियों को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;
		*(छ-क)	धारा 11-ख में संदर्भित श्रेणीकरण कार्य संबंधी विनिर्धारण;
		(ज)	धारा 14 से संदर्भित मामले;
		+(जज)	धारा-14-क की उप-धारा (2) के तहत शुल्क संग्रह की तरीका;
		(झ)	व्यय उपगत करने के सम्बन्ध में बोर्ड, उसके अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और बोर्ड की समितियों की शक्तियां;
		(ञ)	ये शर्तें जिनके अधीन बोर्ड भारत के बाहर व्यय उपगत कर सकेगा;
		*(ञ-क)	धारा 18-क के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए राशियाँ ;
		(ट)	बोर्ड की आय और व्यय के बजट प्राक्कलनों की तैयारी और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ये प्राक्कलन मंजूर किए जाने हैं ;
		(ठ)	यह प्ररूप और रीति जिसमें बोर्ड द्वारा लेखाओं को रखा जाना चाहिए ;
		(ड.)	बोर्ड की निधियों का बैंकों में जमा किया जाना और ऐसी निधियों का विनिधान ;
		(ढ)	धन उधार लेने में बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें ;
		(ण)	वे शर्तें जिनके अधीन और वह रीति जिसमें बोर्ड या उसकी ओर से संविदाएं की जा सकेंगी ;

- 
- लगाया गया देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.
  - +संशोधित देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.30/08/1978 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.

		(त)	वे अतिरिक्त मामले जिनके सम्बन्ध में बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में उपाय कर सकेगा;
		(थ)	धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को संदेय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते;
		(द)	इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को दी जाने वाली किन्हीं विवरणियों या रिपोर्टों का प्ररूप और रीति तथा उनमें अन्तर्विष्ट की जानेवाली विशिष्टियां ;
		(ध)	तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के सम्बन्ध में किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण;
		(न)	कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा निहित या उपबन्धित किया जाना है या किया जाए ;
	(3)		इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति ।	33	(1)	बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपने को समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
		(2)	पूर्वगामी शक्ति की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-
		(क)	बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा सदस्यों की संख्या जिससे बैठक में गणपूर्ति होगी;
		(ख)	यह अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों में से किसी का बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, कार्यपालक निदेशक, सचिव या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजन;
		(ग)	धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सहयोजित या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सहयुक्त व्यक्तियों को, संदेय यात्रा तथा अन्य भत्ते;
		(घ)	बोर्ड के अधिकारियों (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से भिन्न हो) और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें;
		(ङ.)	बोर्ड के लखाओं का बनाए रखना;
		(च)	बोर्ड और उसकी विभिन्न समितियों के रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को बनाए रखना;
		(छ)	बोर्ड की ओर से उसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा अभिकर्ताओं की नियुक्ति;
		(ज)	ये व्यक्ति जिनके द्वारा या वह रीति जिसमें बोर्ड की ओर से संदाय, जमा तथा विनिवेश किए जा सकेंगे।

			*(झ)	धारा 13-ख के खण्ड (ग) के प्रयोजन हेतु अनुचित प्रयोजनों के लिए और खण्ड (ख) के तहत समय जिसके भीतर वर्जीनिया तम्बाकू की पूरी कीमत का भुगतान किया जाएगा ।
		(3)		बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता और राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता तथा किसी विनियम को अनुमोदित करने में केन्द्रीय सरकार उसमें कोई ऐसा परिवर्तन कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत होता है।
		(4)		केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे विनियम को, जिसे उसने अनुमोदित किया है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रद्द कर सकेगी और तब वह विनियम प्रभावी नहीं रहेगा।
		** (5)		हर एक विनियम इस धारा के अधीन जो बना है, उसके बनते ही संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वह सत्रों में हो, जो तीस दिन का सत्र या दो सत्र या उससे अधिक समय वाला सत्र हो सकता है। दोनों सदन सहमत हो सकते हैं किसी भी विनियम में संशोधन किया जाएँ या दोनों सदन सहमत हों कि विनियम नहीं बनना चाहिए, ऐसे संशोधन के बाद ही विनियम प्रभाव होगा या न होगा। जो भी हो कि ऐसा संशोधन /या निराकरण उस विनियम के तहत कोई पहले किये बिना पूर्वाग्रह मान्यता होगा।

---

\* &\*\* लगाया गया देखेभारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-1, दि.06/09/1985 में प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985.